

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक :- प.10(14)आयु./2022 पार्ट 3

जयपुर, दिनांक :- 28 JUL 2022

--: आदेश :-

निम्नांकित होम्यो चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन लोकहित में प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को	विशेष विवरण
1	डॉ. सुरेन्द्र कुमार वंशीवाल	होम्योपैथी चिकित्सक अधिकारी	राजकीय होम्योपैथी औषधालय, सीएचसी रानी, पाली	राजकीय होम्योपैथी औषधालय, बालसमन्द जोधपुर	डॉ. काजल वर्मा के स्थान पर
2	डॉ. काजल वर्मा	होम्योपैथी चिकित्सक अधिकारी	राजकीय होम्योपैथी औषधालय, बालसमन्द जोधपुर	यूसीएचसी बालसमन्द जोधपुर	डॉ. सुमित्रा विश्वाई के स्थान पर
3	डॉ. सुमित्रा विश्वाई	होम्योपैथी चिकित्सक अधिकारी	यूसीएचसी बालसमन्द जोधपुर	राजकीय होम्योपैथी औषधालय, सदरी लोहावट, जोधपुर	रिक्त पद पर

नोट:-

- उक्त में से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किये गये हैं, को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो, तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- किसी अधिकारी द्वारा पूर्व में ही माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त कर रखा हो, तो उसकी क्रियान्विति विधिक परामर्श उपरान्त सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर करे।

आज्ञा से

*(Handwritten Signature)*

(आर.एन.शर्मा)

उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:- प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2021/5566-71

दिनांक:- 28.07.22

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(14)आयु./2022 पार्ट 3, जयपुर, दिनांक 28.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ।
- विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैचसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैचसाइट पर आज ही अवलोड करावे एवं सम्बन्धित कार्मिकों को ई-मेल/WhatsApp कर सूचित करे।
- संबन्धित प्रभारी पी.एच.सी./सी.एच.सी./ जिला अस्पताल .....।
- संबन्धित, बरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-II/होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. .... को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है की तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- कार्यालय की लेखा शाखा/कैश/विधि/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा/सांख्यिकी शाखा।
- श्रीवत पत्रावली।

*(Handwritten Signature)*

(डॉ. रेणु बंसल)  
निदेशक